

08-04-2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण काफ़ी समय से तलबी में लंबित है। वकील वादी/वादी द्वारा अप्रत्याशित की तलबी बंद करवाया गया है। सूबे में तलबी वावत दिये गये आदेशों की भी पालना आधिकारिक तलबी हुई है। अल बाद भी तलबी अभाव से 0-9 R-5 CPC के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः F.I. पत्रावली तलबी अभाव से 0-9 R-5 CPC के तहत अतः द्वारा खारिज की जाते है। पत्रावली फौजदारी लेकर अवर से काम की जाकर वास्तविक हकतार है। निगम खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।

